

तारीख हुक्म	न्यायालय- सेशन न्यायाधीश, सीकर सेशन प्रकरण संख्या- 269/2023 राजस्थान राज्य बनाम शंकरलाल आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ताम में जारी हुए
09.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण छितारमल, बाबुलाल, शंकरलाल व गोपाल वरजमानत मय अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह काजला उपस्थित। 2. अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय की अपील होने की दशा में धारा 481 बी.एन.एस. के प्रावधानों के तहत माननीय अपील/निगरानी न्यायालय में उपस्थित होने बाबत राशि 25-25 हजार रुपये के स्वयं के मुचलकें एवं इसी कदर राशि का जमानतनामा प्रस्तुत कर तस्दीक करावे। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने धारा 481 बी.एन.एस. के जमानत मुचलकें पेश करने हेतु अवसर चाहा है। 3. बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गई। 4. पत्रावली निर्णय/पेश होने जमानत मुचलकें अन्तर्गत धारा 481 बी.एन.एस. हेतु दिनांक 16.06.2026 को पेश हो। 9.6.26 सेशन न्यायाधीश, सीकर	शंकरलाल गोपाल बाबुलाल